संख्या-25/2026/I/1252325/2026/71-1002(002)/5/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में बी0एस0सी0 नर्सिंग छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय हास्टल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2025-26/538, दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में बी0एस0सी0 नर्सिंग छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय हास्टल के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (कार्य योजना के अनुसार) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-10/2025/I/855887/2025/71-1002(002)/5/2024, दिनांक 21.01.2025 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा में बी0एस0सी0 नर्सिंग छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय हास्टल के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 906.21 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 453.105 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 453.105 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा में बी0एस0सी0 नर्सिंग छात्र-छात्राओं हेतु आवासीय हास्टल के निर्माण कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-21-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से परियोजना की द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वहृयं संतुष्टा हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यंकतानुसार करते हुए व्ययरय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर एवं बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वींकृति विषयक शासनादेश संख्या-10/2025/।/855887/2025/71-1002(002)/5/2024, दिनांक 21.01.2025 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052100 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in